भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2347

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

पेंशन में बढ़ोत्तरी

2347. श्री रामदास तडस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक राष्ट्रीय संगठन का गठन किया है और कई वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान में कितनी पेंशन दी जा रही है और देश भर में उक्त पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए पेंशनभोगी संघ सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान से; (ii) केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000/- रुपये प्रति माह की राशि तक 1.16 प्रतिशत की दर से वेतन के अंशदान से बना है । इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह के संचय से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार निधि के मूल्यांकन के अनुसार बीमांकिक घाटा हुआ है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है:

<u>पेंशन योग्य सेवा X पेंशन योग्य वेतन</u>

हालांकि, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

वित्त वर्ष 2022-2023 में ईपीएस, 1995 के तहत 49,54,490 सदस्य पेंशनभोगियों को 10,361.34 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई है।

******